ऑन लाईन नं. RC/.../...

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 16/2021

1. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री बालूराम जाति जाट निवासी गांव मदेरा ,तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।
2. उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट।
3. पृथ्वीराज पुत्र दुदाराम जाति जाट निवासी 2 एच बड़ा मदेरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश श्रीमान तहसीलदार राजस्व (मु0अ0)श्रीगंगानगर के आदेश कमांक 333 दिनांक 12.03.2021 को निरस्त करने हेतु।

उपस्थित :

1. श्री काशीराम रणवां , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. मेहन लाल पूनिया अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03

:: आदेश :: दिनांक :-25.04.2022

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, तथ्यों के विपरीत , विधि विरूद्व पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वाके चक 2 एच बड़ा के खाता संख्या 93/92 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23,24 प्रत्येक सालम , मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1,10,20,21, मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 3 ता 8, मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 2,9,12,13,18,19, 22,23 मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 1,2,9 ता 12, 19,20 मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 16, व मुरब्बा नम्बर 87/15,87/25, 87/26, 87/32, 87/34, में कुल 10.240 हैक्टेयर भूमि अपीलांट व अपीलांट के भाई कृष्णकुमार, साहब राम व बहन इन्द्रादेवी, उर्मिला देवी, शकुन्तला देवी व अपीलांट की माता सुमित्रा देवी के नाम हिस्सानुसार दर्ज है। अपीलांट की माता सुमित्रा देवी का देहान्त हो चुका है। इस संयुक्त खाता में अपीलांट के नाम 1463/10240 हिस्सा दर्ज कागजात माल है। अपीलांट के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23,24 सालम है और किला नम्बर 23,24 में से कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार हल्का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विधि विरूद्व बिना अपीलांट को सुने बिना अपीलांट को नोटिस दिये तथ्यों के विपरीत अपीलाधीन आदेश कमांक 333 दिनांक 12.03.2021 से मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23 व 24 में रास्ता खुलवाने का आदेश दिया है और इस आदेश की निरन्तरता में उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट ने आदेश कमांक 337 दिनांक 15.03.2021 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उक्त आदेश का हवाला देते हुए अपीलांट को नोटिस दिया है कि अपीलांट ने मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23 व 24 में पूर्व में चल रहे रास्ता को मौका पर बंद कर दिया है और दिनांक 17.03.2021 को सुबह 10 बजे से पूर्व उक्त चालू रास्ता में आप द्वारा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

लगाये गये समस्त अवरूद्ध हटवाकर रास्ता पुनः चालू करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा पुलिस व प्रशासन द्वारा पूर्व में चल रहे रास्ता को चालू करवा दिया जायेगा जिसके समस्त हर्जा खर्चा की जिम्मेवारी आपकी होगी, का नोटिस अपीलांट को दिनांक 16.03.2021 को समय सांय 6 बजे दिया है और नोटिस में आज दिनांक 17.03.2021 को सुबह 10 बजे रास्ता खुलवाने का समय निर्धारित किया है। तहसीलदार हल्का के आदेश दिनांक 12.03.2021 की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पत्र पेश कर दिया है और नकल मिलने में समय लगेगा ऐसी सूरत में अपील नोटिस से पेश की जा रही है। वाके चक 2 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23 व 24 अपीलांट व अपीलांट के भाई बहनों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज जमाबन्दी है। किला नम्बर 23,24 में से कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। मुरब्बा नम्बर 26 के दक्षिण में मुरब्बा नम्बर 46 स्थित है। मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 3 व 8 में गैर मुमकिन शमशान भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 25 आबादी भूमि है जिसमें अपीलांट का मकान बना हुआ है। गांव की सुविधा के लिए अपीलांट ने मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 25 व 24 में मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 3,8 स्थित शमशान भूमि में जाने के लिए रास्ता छोड़ रखा है, जो आज भी चालू है। किला नम्बर 23 व 24 की भूमि में से रास्ता किसी काश्तकार के लिए नहीं है और न किसी काश्तकार ने इस रास्ते का उपयोग किया है। यह रास्ता केवल शमशान भूमि में जाने के लिए छोड़ा गया था और शवों के दाह संस्कार हेतु शमशान जाने के लिए इस्तेमाल होता है। अपीलांट ने यह रास्ता बंद नहीं किया है। अपीलांट ने आवारा पशुओं से बचाव के लिए अपनी भूमि की तारबंदी की है। शमशान में दाह संस्कार के लिए लोग आते है, तो तारबन्दी खोल देते है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने बिना तथ्यों की जांच किये अपीलांट की भूमि मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23, 24 में पूर्व में रास्ता चलना मानने में सख्त गलती की है और रास्ता खोलने के आदेश देने में कानूनी भूल की है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शाक्तियां राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित की जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में रास्ता सम्बन्धी आवेदन पत्र पेश होने पर आवेदन पत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत को कानूनन प्रेषित किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन पत्र ग्राम पंचायत को न भेजकर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में सख्त गलती की है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23,24 अपीलांट व अपीलांट के भाई बहनों के नाम से दर्ज है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23 व 24 में कभी रास्ता नहीं था, न रास्ता की आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने किला नम्बर 23 व 24 में बिना रास्ता की आवश्यकता के रास्ता खुलवाने का आदेश दिया है, जो तथ्यों के विपरीत व अपीलांट व अपीलांट के भाई बहनों को बिना सुनवाई का मौका दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार को सुना जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित करने में सख्त गलती की है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23 व 24 में अपीलांट की फसल काश्त की हुई है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में यदि रास्ता खुलाया जाता है तो अपीलांट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। ऐसी सूरत में अपीलाधीन आदेश की कियान्वति स्थगित की जानी इन्साफन आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 15.03.2021 निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट पृथ्वीराज द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 राज.काश्त.अधि. के अन्तर्गत अपीलांट व अन्य के विरूद्व प्रस्तुत कर चक 2 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23, 24 के दक्षिणी पूर्वी कोना से होकर मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 3 में से प्रवेश कर किला नम्बर 2 व 1 से होते हुए अपने मुरब्बा नम्बर 45 की कृषि भूमि में कृषि कार्य निरन्तर बेरोक टोक करता रहा है जिसे अपीलांट द्वारा अवरोधित किया गया को खुलवाने हेतु निवेदन किया जो कि पिछले 70 वर्षो से निरन्तर संचालित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय रिपोर्ट कमांक 807 दिनांक 18.09.2020 उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रस्तुत की गयी जिसमें उक्त रास्ता पिछले 40 वर्षो से रास्ता के रूप में उपयोग होना बताया। इसी सम्बन्ध में आईएलआर शिवपुर व पटवार मण्डल मदेरा द्वारा दिनांक 18.09.2020 की रिपोर्ट में उक्त रास्ता मौके पर चालू होना बताया, इसी के साथ आई.एल.आर. शिवपुर द्वारा दिनांक 18.09.2020 को ही एक फर्द मौका तैयार किया गया जिसमें उक्त रास्ता पिछले 40 वर्षो से चल रहा होना बताया। उक्त फर्द मौका पर अपीलार्थी महेन्द्रकुमार के भी हस्ताक्षर है। इसके के साथ एक नक्शा भी तैयार किया था दिनांक 31.12.2020 को उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा फर्द मौका तैयार किया गया जिसमें उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत रास्ता को खुलवाया गया। इस आदेश में मुरब्बा नम्बर 45 मेंआने जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 व 2 में रास्ता स्वीकृत कर खुलवाया गया था। उक्त मंजूरशुदा रास्ते में विवादित रास्ता किला नम्बर 23 व 24 से ही आवागमन होता है अन्य कोई रास्ता नहीं है। अपीलांट द्वारा इस सम्बन्ध में एक सहमति पत्र ग्राम पंचायत मदेरा को उक्त रास्ता में पक्की सड़क निर्माण के लिए दिया जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा बनायी जा रही इन्टरलोकिंग सड़क जो कि मुख्य ग्राम से शमशान घाट के मुख्य द्वारा तक अपने खेत कि भूमि पर रजामंदी से निर्माण कार्य करवाने की सहमति दी उसी सहमति के आधार पर ग्राम पंचायत मदेंरा द्वारा द्वारा सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव दिनांक 07.06.2019 को पारित किया गया। इसी प्रस्ताव के अनुसार जिला परिषद, श्रीगंगानगर के द्वारा उक्त सड़क में इन्टर लोकिंग के लिए वित्तिय स्वीकृति जारी की गयी जिसके अनुसार 180 फीट तक इन्टरलोकिंग सड़क का निर्माण था। दिनांक 12.06.2019 को जारी वित्तिय स्वीकृति 2,93,600/– रूपये जिला परिषद श्रीगंगानगर के द्वारा दी गयी, तथा इन्टरलोकिंग सड़क का निर्माण किया गया। अगर वहां रास्ता न होता तो जिला परिषद द्वारा इन्टर लोकिंग के लिए इतनी बड़ी राशि का खर्च नहीं किया जाता। अब अगर उक्त रास्ता को अपीलांट द्वारा बंद किया जाता है तो उस सड़क में इन्टरलोकिंग निर्माण में जिला परिषद के रूपयों का गबन माना जाएगा। अपीलांट द्वारा मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 3 व 8 जो शमशान भूमि स्थित है में सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि भूमि के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23 व 24 का दक्षिणी पूर्वी कोना तक स्वेच्छा से रास्ता प्रदान किया गया इस प्रकार अपीलांट स्वयं द्वारा निष्पादित किए दस्तावेज, फर्द मौका रिपोर्ट आदि से पूर्ण रूप से सिद्व है कि मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 24 तथा किला नम्बर 23 का दक्षिणी पूर्वी कोना में रास्ता 40 वर्षो से संचालित रहा है जिसे अब अपीलांट द्वारा बेवजह रंजिशं स्वरूप रेस्पोडेन्ट पृथ्वीराज को उसकी कृषि भूमि में आने जाने से रोकने हेतु कंटीलेतार व पिल्लर लगा इसे अवरोधित किया जिसे रेस्पोडेन्ट खुलवाये जाने का अधिकारी है। अपीलांट विधि विरूद्व नाजायज तरीके से रेस्पोडेन्ट पृथ्वीराज को अपने मुरब्बा नम्बर 45 में आने जाने से रोकने हेतु कंटीलेतार व पिल्लर जो मुरब्बा नमबर 26 के किला नम्बर 24 की दक्षिणीदिशा व किला नम्बर 23 के दक्षिणी पूर्वी दिशा में कारित किए अवरोध को हटाया जाकर रास्ता संचालित किया जावें। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सव्यय निरस्त की जाए तथा तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर को निर्देशि दिया जावें कि तुरन्त प्रभाव से अपीलांट उक्त संचालित रास्ता में कारित अवरोध को हटाया जाकर सुचारू रूप से चालू किया जावें।

अधिवक्ता अपीलांटस् ने अपनी बहस में कथन किया कि वाके चक 2 एच बड़ा के खाता संख्या 93/92 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23,24 प्रत्येक सालम , मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 1,10,20,21, मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 3 ता 8, मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 2,9,12,13,18,19, 22,23 मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 1,2,9 ता 12, 19,20 मुरब्बा नम्बर 63 के किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 16, व मुरब्बा नम्बर 87/15,87/25, 87/26, 87/32, 87/34, में कुल 10.240 हैक्टेयर भूमि अपीलांट व अपीलांट के भाई कृष्णकुमार, साहब राम व बहन इन्द्रादेवी, उर्मिला देवी, शकुन्तला देवी व अपीलांट की माता सुमित्रा देवी के नाम हिस्सानुसार दर्ज है। इस संयुक्त खाता में अपीलांट के नाम 1463/10240 हिस्सा दर्ज कागजात माल है। अपीलांट के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23,24 सालम है और किला नम्बर 23,24 में से कोई रास्ता नहीं है। मुरब्बा नम्बर 26 के दक्षिण में मुरब्बा नम्बर 46 स्थित है। मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 3 व 8 में गैर मुमकिन शमशान भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 25 आबादी भूमि है जिसमें अपीलांट का मकान बना हुआ है। गांव की सुविधा के लिए अपीलांट ने मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 25 व 24 में मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 3,8 स्थित शमशान भूमि में जाने के लिए रास्ता छोड़ रखा है, जो आज भी चालू है। किला नम्बर 23 व 24 की भूमि में से रास्ता किसी काश्तकार के लिए नहीं है और न किसी काश्तकार ने इस रास्ते का उपयोग किया है। यह रास्ता केवल शमशान भूमि में जाने के लिए छोड़ा गया था और शवों के दाह संस्कार हेतु शमशान जाने के लिए इस्तेमाल होता है। अपीलांट ने यह रास्ता बंद नहीं किया है। अपीलांट ने आवारा पशुओं से बचाव के लिए अपनी भूमि की तारबंदी की है। शमशान में दाह संस्कार के लिए लोग आते है, तो तारबन्दी खोल देते है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने बिना तथ्यों की जांच किये अपीलांट की भूमि मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23, 24 में पूर्व में रास्ता चलना मानने में सख्त गलती की है और रास्ता खोलने के आदेश देने में कानूनी भूल की है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शाक्तियां राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित की जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय में रास्ता सम्बन्धी आवेदन पत्र पेश होने पर आवेदन पत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत को कानूनन प्रेषित किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन पत्र ग्राम पंचायत को न भेजकर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में सख्त गलती की है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23,24 अपीलांट व अपीलांट के भाई बहनों के नाम से दर्ज है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23 व 24 में कभी रास्ता नहीं था, न रास्ता की आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने किला नम्बर 23 व 24 में बिना रास्ता की आवश्यकता के रास्ता खुलवाने का आदेश दिया है, जो तथ्यों के विपरीत व अपीलांट व अपीलांट के भाई बहनों को बिना सुनवाई का मौका दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार को सुना जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित करने में सख्त गलती की है। मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 23 व 24 में अपीलांट की फसल काश्त की हुई है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में यदि रास्ता खुलाया जाता है तो अपीलांट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 15.03.2021 निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट महेन्द्र कुमार पुत्र बालुराम सहारण निवासी मदेरा द्वारा मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 25 व 24 में मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 3,8 के लिए अपीलांट द्वारा एक सहमति पत्र ग्राम पंचायत मदेरा को उक्त रास्ता में पक्की सड़क निर्माण के लिए दिया जिस पर ग्राम पंचायत मदेरा द्वारा इन्टरलोकिंग सड़क जो कि मुख्य ग्राम से शमशान घाट के मुख्य द्वारा तक अपने खेत कि भूमि पर सहमति के आधार पर ग्राम पंचायत मदेंरा द्वारा सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव दिनांक 07.06.2019 को पारित कर पक्की सड़क का निर्माण किया गया है जिस अपीलांट द्वारा तारबन्दी कर अवरोध पैदा किया हुआ है। तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मदेंरा द्वारा सड़क निर्माण के लिए प्रस्ताव दिनांक 07.06.2019 को पारित कर जिस पक्की सड़क का निर्माण किया गया है उस पर अपीलांट द्वारा तारबन्दी कर जो अवरोध पैदा किया गया है उसे खुलवाया जाकर पालना प्रेषित करें । फलस्वरूप अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।